मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2012 को बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के कार्य–कलापों की समीक्षा संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : सूची संलग्न ।

1. अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, भेल ने दिनांक 06.03.2012 को काँटी में माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के समक्ष बरौनी एवं मुजफ्फरपुर के आर0 एण्ड एम0 के कार्यों को पूरा करने का निम्नलिखित आश्वासन दिया है :–

(क) आर0 एण्ड एम0, एम0टी0पी0एस0

यूनिट नम्बर–। 29.04.2012

यूनिट नम्बर–।।– अक्टूबर, 2012

यूनिट नम्बर–।। के आर0 एण्ड एम0 का कार्य के0बी0यू0एन0एल0 द्वारा भेल को सौंप जाने के बाद कम–से–कम सात महीने में सम्पन्न किया जायेगा। अतः एन0टी0पी0सी0 से यूनिट नम्बर–।। को अविलम्ब आर0 एण्ड एम0 के लिए भेल को सौंपने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) आर0 एण्ड एम0, बी0टी0पी0एस0

यूनिट नम्बर – 7 31.08.2012

यूनिट नम्बर – 6 अक्टूबर 2012

यूनिट नम्बर –6 के आर0 एण्ड एम0 के लिए दिनांक 15.03.2012 को भेल को सौंप दिया जायेगा।

2. केस–।। बिडिंग के लिए चौसा, पीरपैंती एवं कजरा में जो सरकारी जमीन है उसके हस्तानान्तरण की प्रक्रिया को त्वरित गति दी जानी है तथा प्राईवेट जमीन के सेक्सन 7/17 के नोटिफिकेशन को पूरा किया जाना है। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि चौसा इकाई के लिए दिनांक–06.03.2012 को तीन प्रस्ताव उद्योग विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया है तथा एक प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

3. पीरपैंती विद्युत उत्पादन इकाई के लिए अमीन की समस्या के कारण प्रगति बाधित है। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से इस संबंध में जल्द कार्रवाई करें।

4. कजरा विद्युत उत्पादन इकाई के लिए प्रस्तावित भूमि ग्राम पंचायत की है। इस भूमि की जमाबंदी गलती से खुल गयी है, जिसकी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी मिली है। जिला पदाधिकारी, लखीसराय को इसमें सुधार करने का निदेश दिया गया। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि दो माह के अन्दर इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

5. एम0टी0पी0एस0 के लिए भू–अर्जन हेतु सेक्सन 7/17 की कार्रवाई पूरी हो गयी है । भुगतान की प्रक्रिया धीमी है जिसे त्वरित किया जाना चाहिए।

6. निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आश्वासन दिया कि Right to use of land के संबंध में जिलाधिकारी स्तर के पदाधिकारी को Competent Authority घोषित करने का आदेश शीघ्र निर्गत किया जायगा।

7. कैमूर जिला में पुसौली ग्रीड सबस्टेशन के लिए 9.87 एकड़ सैरात जमीन को परती घोषित करने के लिए प्रस्ताव आयुक्त, पटना प्रमण्डल को भेजा गया है। तत्पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस संबंध में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाए।

8. बी0टी0पी0एस0 के विस्तार के लिए नामित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंड़िया द्वारा लोन सिंपलीफिकेशन में अत्यधिक विलम्ब हो गया है। मार्च 2012 तक लगभग 130 करोड़ रूपया भेल को भुगतान किया जाना है। पी0एफ0सी0 को स्टेट गारंटी के तहत लोन लेने की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दी जानी है। प्रधान सचिव, वित्त एवं प्रधान सचिव, ऊर्जा विषय पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे ।

9. आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–बी0 के तहत पी0एफ0सी0 तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन के लिए स्टेट गारंटी से संबंधित कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा जल्द की जाए।

10. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एवं सचिव (व्यय), वित्त विभाग द्वारा दिए गये सुझाव से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा विद्युत बोर्ड को दिया जाना है।

11. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 13 पावर सबस्टेशन के लिए जमीन की उपलब्धता अभीतक सुनिश्चित नहीं हो पायी है। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि बनमा इटहरी, मटिहानी, सम्हा अक्खा खुरा, देसरी, सहदेई बुजुर्ग का 7/17 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोटवा में पावर सबस्टेशन के लिए जमीन हस्तानान्तरण का अनुमोदन

23

मंत्रिमंडल द्वारा हो गया है जिसका राज्यादेश जल्द जारी किया जायेगा। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह भी बताया कि साढ़े तीन माह के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सभी पावर सबस्टेशनो के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जायेगी।

12. प्रधान सचिव, (ऊर्जा), प्रधान सचिव, (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) एवं निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर हर अल्टरनेट शुक्रवार को इस संबंध में बैठक होगी जिसमें बोर्ड की ओर से सदस्य (प्रशासन) भाग लेंगे।

13. प्रधान सचिव (वित्त) ने बताया कि दिनांक– 12.03.2012 को बजट में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए उनसे संबंधित बकाये के भुगतान के नामित राशि आवंटन का पता चल जायेगा। इस संबंध में संबंधित विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अतिरिक्त आवंटन फिल्ड यूनिट को देना होगा ताकि राशि का भुगतान दिनांक– 31.03.2012 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को किया जा सके।

14. विभिन्न सरकारी विभाग के उपभोक्ताओं को इनर्जी मीटर प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाना है। दिनांक– 15.05.2012 तक 11 के0भी0 के सभी एच0टी0 कंज्यूमरों को मीटरीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु मीटरिंग यूनिट की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी है। 11 के0 भी0 के जो 17 उपभोक्ता बिना मीटर के हैं उन्हें सर्वप्रथम मीटरीकृत किया जाना है। यह भी निर्णय हुआ कि जून, 2012 तक सभी एल0टी0सी0टी0 उपभोक्ताओं का मीटरीकरण कर दिया जाय।

15. 3 फेज इनर्जी मीटर का कंट्रैक्ट प्राथमिकता पर 31.03.2012 तक फाइनलाईज्ड किया जाना है और इसकी आपूर्ति तथा अधिष्ठापन पर निगरानी रखी जानी है। अक्टूबर 2012 तक क्रमिक रूप से तमाम मीटर रहित एवं खराब मीटर वाले 3 फेज उपभोक्ताओं के यहाँ मीटरों को लगाना/बदलना सुनिश्चित किया जाए।

16. हर महीने समीक्षा के दौरान मासिक प्रगति, मीटर अधिष्ठापन एवं आपूर्ति किये गये मीटरों की सूची दी जाए।

17. सभी सर्किल के लिए बिलिंग एफीसियेन्सी और कलेक्शन एफीसियेन्सी निकाला जाए और इसको बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाकर उसका लक्ष्यबद्ध ढंग से कार्यान्वयन किया जाए।

18. सभी इफेक्टिव कंज्यूमर (Effective Consumer) का बिल का जेनरेशन, नये कंज्यूमर का बिलिंग साईकिल में इंट्री तथा लॉस रीडक्शन के लिए कारगर उपाय बोर्ड द्वारा तैयार किया जाए।

19. प्रधान सचिव, वित्त ने बताया कि पेसु क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न अपार्टमेन्टों के लिए जहां अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है तथा सिस्टम मीटर लगाया गया है वहां के लिए सैम्पल के तौर पर इनर्जी एकाउन्टिंग की जाए।

20. अगली बैठक से गत माह की समीक्षात्मक बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। बोर्ड द्वारा की जाने वाली प्रस्तुति में यह पहला आइटम रहना चाहिए ।

21. बोर्ड द्वारा सतत मीटरीकरण, बिलिंग एफीसियेन्सी (Billing Efficiency) और कलेक्शन एफीसियेन्सी (Collection Efficiency) बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना है।

14/8/12

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य-कलापों की समीक्षात्मक बैठक ।

दिनांक : 07/03/2012

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री नवीन कुमार	मुख्य सचिव	
2	श्री ए0 के0 सिन्हा	विकास आयुक्त	
3	श्री सी0 अशोक वर्द्धन	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
4	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	
5	श्री अजय नायक	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	
6	श्री हुकुम सिंह मीणा	निदेशक, भू-अभिलेख	
7	श्री मिहिर कुमार सिंह	सचिव (व्यय) वित्त विभाग	
8	श्री पी0 के0 राय	अध्यक्ष, बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
9	डा0 राणा अवधेश	सदस्य (प्रशासन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
10	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
11	श्री ललन प्रसाद	सदस्य (उत्पादन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
12	श्री टुन टुन झा	सदस्य (संचरण), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	7.3.2012
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

21

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 1208 पटना, दिनांक 15/3/12

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

15/3/12